दिनांकः- 24.12.2020

"महोबा पुलिस"

सोशल मीडिया सेल

थाना खरेला पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

दिनांक 23.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री कालू सिंह के निकट पर्वेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार थाना खरेला के द्वारा गठित टीम ने अभियुक्त गुलाब सिंह राजपूत पुत्र राम सनेही राजपूत उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा को एक पिपिया मे 10 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ के साथ पाचं पांटन मन्दिर के पास ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 154/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह

2.का0 शैलेन्द्र प्रजापति

3.का0 हरेन्द्र यादव

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

गुलाब सिंह राजपूत पुत्र राम सनेही राजपूत उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा।

Mahoba Police

दिनांक:- 24.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

`गुड मॉर्निंग महोबा` कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने ‘मार्निंग वॉक’ कर जाना लोगों का हाल.

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में लांच किये गये *गुड मार्निंग महोबा* कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा ‘मार्निंग वॉक’ कर जनपदवासियों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 24.12.2020 को जनपदीय महोबा पुलिस ने `गुड मॉर्निंग महोबा` कह लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। जिससे खुश होकर नागरिकों ने पुलिस के साथ सेल्फी ली व हाथ मिलाया।

समस्त थानों की गुड मार्निंग टीमें प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगी और सुधारात्मक उपाय करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की छवि को 'पुलिस मित्र' के रूप में बढ़ावा देना है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर कर रहा है।

जिसके क्रम में पुलिस की बेहतर छवि को बढ़ावा देने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा पार्क, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ‘मार्निंग वॉक’ कर जनपदवासियों से उनकी कुशलता की जानकारी ली गयी।

थाना महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

दिनांक 23.12.20 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के सम्बन्ध मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में दौराने भ्रमण अभियान में सम्मलित होकर कस्बा व थाना महोबकंठ से एक नफर अभियुक्त सुखराम पुत्र नाथूराम यादव उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 32 अदद देशी क्वाटर ठेका शराब बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0192/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सुखराम पुत्र नाथूराम यादव उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः- थाना महोबकंठ।

1. थानाध्यक्ष दिनेश सिह
2. का0 प्रदुम्न कुमार
3. का0 संदीप कुमार

Mahoba Police

थाना कबरई पुलिस ने चोरी के वांछित अभियुक्त को माल सहित किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित / शातिर /वारन्टी व टाप टेन के अपराधियो की गिरफ्तारी/धरपकड अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक श्री दीपक कुमार पाण्डेय थाना कबरई के नेतृत्व में आज दिनांक **24.12**.2020 को उ.नि. श्री ब्रम्हादीन व हे.का. सुरेन्द्र द्वारा गुगौरा चौकी स्थित हनुमान मन्दिर में दानपेटिका भरे रूपये सहित दिनाँक 22.12.2020 की रात्रि में चोरी होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु**0**अ**0**सं**0** 342/2020 **/2020** धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात के विरूध्द पंजीकृत कराया था । उपरोक्त मुकदमा का अनावरण करते हुये अभि0 योगेन्द्र पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जिला महोबा उम्र 25 वर्ष दानपेटिका में पड़े रूपये कुल 4 हजार 40 रूपये 50 पैसे सहित मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गुगौरा   के पास बने ठेका के पास   से दबिश देकर पकड़ लिया गया। अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्त योगेन्द्र के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय भेजा जा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थाना कबरई...।

1. उ.नि. श्री ब्रम्हादीन   2. हे.का. सुरेन्द्र सिंह ...

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

योगेन्द्र पुत्र सुखदेव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद-महोबा।

Mahoba Police

जनपदीय पुलिस द्वारा कोविड़-19 के प्रति लोगों को किया गया जागरूक एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 24.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के सभी थाना क्षेत्रों में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा के तहत यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के थाना क्षेत्रो में अभियान चलाकर चेकिंग की गई । जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर थानो द्वारा कोविड-19 के उल्लंघन पर **30 व्यक्तियों से 4000/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर **50 ई- चालान किये गये।**

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को नोवल कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

Mahoba